

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर

कमांक-एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/

दिनांक

-:अधिसूचना:-

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 की उप धारा (zb) में प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, खाद्य सुरक्षा आयुक्त एतद् द्वारा पूर्ण राज्य (राजस्थान) के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को अधिनियम के प्रयोजनार्थ अग्रिम आदेश तक स्थानीय क्षेत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि से घोषित करता हूँ।

SD

(डॉ० बी० आर० मीणा)

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर

दिनांक 16/8/11

कमांक-एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/ 187  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय मुख्यालय।
5. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को मय दो अतिरिक्त प्रति के भेजकर अनुरोध है कि अधिसूचना को तुरन्त ही राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कराकर प्रति भिजवाने का श्रम करें।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
10. समस्त जन विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान।
11. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचनार्थ।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

SD

(डॉ० बी० आर० मीणा)

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर

प्रशासी  
सर्वेक्षण  
मुख्यालय